RTI/Speed post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/64/2016-17

10 अगस्त, 2016

सेवा में,

श्री राजेश कुमार साहू
पुत्र श्री प्रहलाद दास साहू
पो. कचनी, वैलोहाटोला
वाया अमलोटी, जिला सिंगरौली,
मध्य प्रदेश, पिन-486887

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 01 अगस्त, 2016 के पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ. संख्या 38F 726611 संलग्न कर अपने पूर्व प्रेषित पत्रों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है।

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि सभी आवेदन पत्रों की विषय-वस्तु भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से संबंधित होती है और सभी आवेदन ध्यानाकर्षण हेतु श्रीयुत सचिव, कोयला मंत्रालय को अग्रसारित किए जाते रहे हैं। इस विषय में श्री सुजीत कुमार, अवर सचिव, कोयला मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं. फा.सं. 49026/18/2015-पीआरआईडब्ल्यू-1(पार्ट-5) दिनांक 08 जुलाई, 2016 के माध्यम से आपको सूचित कर दिया गया है कि आपके पत्र उन्हें मिलते रहते हैं और उनका उत्तर वे आपको भेजते रहते हैं परंतु अब इस विषय में आपके द्वारा भेजे गये पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपको भेजे गये पत्र की एक प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न की जा रही है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

O/C
10/8/16

अवर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

फा.सं. 49026/18/2015-पीआरआईडब्ल्यू-1(पार्ट-5)   नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई,2016

Vice President's Secretariat
Dy.No. 3535
Date 22/7/16
New Delhi

सेवा में

श्री राजेश कुमार साहू,
सुपुत्र श्री प्रहलाद दास साहू,
पोस्ट कचनी (वैलोहाटोला),
वाया अमलोरी, जिला सिंगरौली-486 887, मध्य प्रदेश

विषय: भारत की अधिसूचना संख्या 660, दिनांक 4.2.1982 द्वारा, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि वापिस किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में, आपके द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय /राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय और इस मंत्रालय को लिखे गए पत्र (शब्दश: एक ही मुद्दा होता है) के संदर्भ में, आपको कई बार इस मंत्रालय तथा सीएमपीडीआईएल,रांची द्वारा विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है जिसका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:-

" श्रीमती सेत कुमारी, भू-स्वामी की भूमि रकबा 0.05 एकड़ एनसीएल की निगाही परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई थी एवं अर्जित भूमि के मुआवजे का भुगतान रू. 1389.95/- दिनांक 1.6.1987 को किया जा चुका है । श्रीमती सेत कुमारी की अर्जित रकबा के एवज में नौकरी हेतु सीआईएल की आर एण्ड आर पालिसी, 2008 में निर्धारित न्यूनतम भूमि रकबा से कम थी । श्रीमती सेत कुमारी की आंख,एनसीएल के नेहरू शताब्दी चिकित्साल्य, जयंत की लापरवाही से खराब हो गई है, यह आरोप सही नहीं पाया गया है ।

श्रीमती सेत कुमारी के पुत्र श्री राजेश कुमार साहू ने सीएमपीडीआईएल, रांची द्वारा रोजगार समाचार-पत्र में प्रकाशित 'रिगमैन/सहायक ड्रिलर' पद हेतु आवेदन भरा था । वर्ष 2011 में, उक्त दोनों पदों पर श्री साहु सफल नहीं हुए थे । सीआईएल की आर एण्ड आर पालिसी, 2008 के अनुसार सीधी भर्ती में ओवरऑल मार्किंग सिस्टम में 5 प्रतिशत का लाभ संबंधित सहायक कंपनी द्वारा ही अपने भू-वंचित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को दिया जाएगा । श्रीमती सेत कुमारी की भूमि एनसीएल द्वारा अधिगृहीत की गई थी अत: श्रीमती सेत कुमारी के सुपुत्र श्री साहू को सीएमपीडीआईएल द्वारा 5 प्रतिशत का लाभ नहीं दिया जा सकता है । सीबीए एक्ट, 1957 के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि को वापिस करने का कोई प्रावधान नहीं है । "

2. अत: अब यह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि आपके उपरोक्त विषय से संबंधित प्राप्त पत्रों पर भविष्य में कोई कारवाई नहीं की जाएगी । अत: आपसे यह अनुरोध किया जाता है कि आप उपरोक्त विषय पर कोई पत्राचार नहीं करेंगे ।

भवदीय,

सुजीत कुमार 8/7/16

(सुजीत कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

............2/-

RTI No-64

Regd. Post

Vice President's Secretariat
Dy. No. 498
Date 9/8/16
New Delhi

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी महोदय,
उप-राष्ट्रपति का सचिवालय,
नई दिल्ली - 110011.

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्रदान करने के सम्बंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि महामहिम उप-राष्ट्रपति महोदय को सम्बोधित निम्नलिखित पत्र Regd. Post द्वारा प्रेषित किया गया है, पर वर्तमान तक क्या कार्यवाही किया गया है?

2. दिनांक 07.07.16, 14.07.16, 21.07.16 एवं 28.07.2016 का पत्र।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त सूचना प्रदान करने की महान कृपा की जाय।

"धन्यवाद"

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(राजेश कुमार साहू)
S/o श्री प्रहलाद दास साहू
पोस्ट - कचनी (बैलौहाटोला)
वाया - अमलोरी,
जिला - सिंगरौली (मध्य प्रदेश),
पिन - 486887,
मो० नं. - 09425858267.

स्थान:- सिंगरौली
दिनांक:- 01.08.2016

संलग्न:- 10 का IPO.